

प्रेषक,

योगेश कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासना

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ०प्र०, लखनऊ

पशुधन अनुभाग-2

लखनऊ :: दिनांक-04 मार्च, 2014

विषय:- पशुपालन विभाग में पशुओं का टीकाकरण लेवी से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

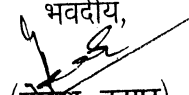
महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-3519/12-प-2-99-30(3)/99, दिनांक-19.01.2000 जिसके द्वारा दिनांक-01.04.2000 से पशुपालन विभाग में पशुओं का टीकाकरण शुल्क रु०-0.50 से रु०-2.00 निर्धारित किया गया है, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि पशुओं में टीकाकरण पर लेवी लिये जाने से टीकाकरण अनिवार्य न होकर ऐच्छिक हो जाता है जिसके कारण रोग उन्मूलन एवं रोग नियंत्रण के उद्देश्य प्रभावित होते हैं। टीकाकरण ऐच्छिक हो जाने पर पशु टीकाकरण से छूट जाते हैं जिनकी संक्रामक रोगों से मृत्यु भी हो जाती है साथ ही कालान्तर में पशुओं के साथ-साथ मानव में भी रोगों के प्रकोप की प्रबल सम्भावना सदैव बनी रहती है। अतः पशुधन की व्यापक क्षति को रोकने, भेड़ों/बकरियों की संख्या में वृद्धि एवं गरीब पशुपालकों की आजीविका में सुधार, पशुधन उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन, पशुधन के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाओं के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि व्यापक पशु हानि रोकने गरीब पशुपालकों के आर्थिक उन्नयन, रोग मुक्त क्षेत्रों की स्थापना, निर्यात प्रोत्साहन, पूंजी निवेश एवं गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप पशुधन उत्पाद सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से चलाये जा रहे व्यापक पशु रोग उन्मूलन अभियानों की सफलता एवं निहित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पशुपालन विभाग में पशुओं का टीकाकरण लेवी से मुक्त रखा जाये।

3- तत्काल में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्णय का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा विभाग द्वारा टीकाकरण का लेखा-जोखा सुरक्षित रखते हुए कार्यक्रम की गहन समीक्षा की जाय ताकि शत-प्रतिशत आच्छादन का लक्ष्य वास्तविक रूप से पूर्ण हो सके। उक्त के साथ ही टीकाकरण के डाक्यूमेंटेशन की उचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाय तथा उसकी चेकिंग स्वतंत्र एजेंसी से करायी जाये।

4- उपरोक्त शासनादेश दि०-19.01.2000 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(योगेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

पु०सं०-569(1)/सैतीस-2-2014- तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, पशुपालन, दुग्ध एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र० शासना।
5. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-11, पशुपालन विभाग, उ०प्र०।
6. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उ०प्र०।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त संसाधन (सामान्य) अनुभाग/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,